132/24-01-2020

दिनांक– 22.01.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा की कार्यो की समीक्षा के क्रम में दिए गए निदेशः–

दिनांक– 22.01.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना, समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बंदोबस्त कार्यालय द्वारा किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की गई एवं घाटकुसुम्भा अंचल अंतर्गत चल रहे शिविरों तथा ग्राम में कार्यरत अमीनों एवं एजेंसी के कार्यों का निरीक्षण भी किया गया।

समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिए गए :–

1. **कार्यालय प्रबंधन** :– बंदोबस्त कार्यालय एवं शिविर कार्यालय प्रबंधन के संबंध में निदेश दिया गया कि सभी कर्मियों के दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की जाए एवं प्रतिदिन उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी स्पष्ट करने के साथ–साथ यह स्पष्ट किया जाय कि किस स्तर पर कौन–कौन कर्मी कहाँ रहेंगे और उनके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा। जिलास्तरीय कार्यालय का प्रबंधन, प्रभारी पदाधिकारी के स्तर से एवं शिविर कार्यालय का प्रबंधन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) द्वारा किया जाए।

   अनुपालनः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), शेखपुरा।

2. **प्रपत्र–3(1) वंशावली के संबंध में** :– निदेश दिया गया कि रैयतों द्वारा दिए जाने वाले स्वघोषणा के साथ प्रपत्र– 3(1) वंशावली के प्रारूप पर पुर्नसमीक्षा की जाए एवं इसे और सरलीकृत करने का प्रयास किया जाए। साथ ही वंशावली के सत्यापन के संबंध में ग्राम स्तर पर स्थानीय जन प्रतिनिधि से करवाने के संबंध में आवश्यक निदेश दिए जाएँ।

   अनुपालनः– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।

3. **मोन्यूमेंटेशन संबंधी डाटा के संरक्षण के संबंध में** :– घाटकुसुम्भा अंचल अंतर्गत ग्राम–सीमा सत्यापन के क्रम में स्थापित किए गए त्रि–सीमाना पर स्थापित पीलर के निरीक्षण के क्रम में निदेश दिया गया कि पीलर पर अंकित सभी डाटा यथा– पीलर का कोड, संबंधित ग्राम थाना संख्या इत्यादि को सॉफ्ट कॉपी में संधारित करते हुए इसे सार्वजनिक पटल पर भी प्रदर्शित किया जाए। इस संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों एवं जिला बंदोबस्त कार्यालय को आवश्यक निदेश निर्गत किए जाएँ।

   अनुपालनः– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना/अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा।

4. **E.T.S संचालन के प्रशिक्षण के संबंध में :–** घाटकुसुम्भा अंचल अंतर्गत चल रहे कार्यों के निरीक्षण के क्रम में निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर सभी सर्वेक्षण कर्मियों को E.T.S संचालन का गहन प्रशिक्षण दिया जाए ताकि कोई भी अमीन स्वतंत्र रूप से E.T.S द्वारा नापी का कार्य सके। इस संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा E.T.S के साथ प्रशिक्षकों को जिला में आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई की जाए।

अनुपालनः– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना/अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा।

5. **मानचित्र संरक्षण के संबंध में :–** जिला बंदोबस्त कार्यालय, घाटकुसुम्भा के निरीक्षण के क्रम में मानचित्रों की संरक्षण के संबंध में निदेश दिया गया कि ग्रामवार फोल्डर बनाकर मानचित्रों को अलग–अलग रखा जाए। किसी भी राजस्व ग्राम से संबंधित सभी चरणों के मानचित्रों को एक साथ रखने की व्यवस्था की जाए।

अनुपालनः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), शेखपुरा।

6. **मानचित्रों की प्रविष्टि के संबंध में :–** बंदोबस्त कार्यालय में निरीक्षण के क्रम में मानचित्रों के अवलोकन के पश्चात् निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण मानचित्रों में संदर्भ के लिए C.S/R.S के ऐसे खेसरें जिनकी सार्वजनिक प्रकृति मानचित्र अवलोकन से स्पष्ट होती हो यथा– जल निकाय, आहर पाईन, बंधान, रास्ता, कब्रिस्तान, मंदिर इत्यादि को डॉटलाईन से मानचित्र में दर्शाया जाए तथा प्रारंभिक चरणों के मानचित्र में इसे प्रदर्शित करने के लिए एजेंसियों को आवश्यक निदेश निर्गत किए जाएँ। D.G.P.S ऑब्जर्वेशन हेतु नियत किए गए कंट्रोल प्वाइंट को भी अनिवार्य रूप से शुद्धता के साथ मानचित्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन ग्रामों का मानचित्र पूर्व में एजेंसी द्वारा बिना कंट्रोल प्वाइंट को प्रदर्शित करते हुए समर्पित किया गया है, उनके मानचित्र एजेंसियों से पुनः प्राप्त किए जाएँ।

अनुपालनः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), शेखपुरा/सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियाँ।

7. **शिविर कार्यालय के संबंध में :–** घाटकुसुम्भा अंचल अंतर्गत अंचल मुख्यालय में चल रहे सर्वेक्षण शिविर के संबंध में निदेश दिया गया कि शिविर कार्यालय के लिए स्वतंत्र भवन (अंचल परिसर में बने आवासीय भवन) आवंटित कर सर्वेक्षण संबंधी सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखने संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जाए। यथा संभव आम रैयतों को भी सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए। शिविर अंतर्गत तैयार किए गए ग्राम–अभिलेखों को भी कम्प्यूटर में संधारित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा।

8. **अंचल कार्यालय, घाटकुसुम्भा :–** घाटकुसुम्भा अंचल अंतर्गत माफो ग्राम में आयोजित जन संवाद में अंचल अधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि घाटकुसुम्भा अंचल अंतर्गत चल रहे विशेष सर्वेक्षण को देखते हुए दाखिल–खारिज के आवेदनों के निष्पादन में तीव्रता लाई जाए एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर रैयतों से भूमि संबंधी सभी मामलों के आवेदन प्राप्त कर उनका निष्पादन किया जाए।

अनुपालनः– अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा।

ह0 / –
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017.......132.......... **पटना, दिनांक :–**24-01-2020

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017.......132.......... **पटना, दिनांक :–**24-01-2020

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय / सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0), शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017.......132.......... **पटना, दिनांक :–**24-01-2020

प्रतिलिपिः– M/s IL&FS Enviromental Infrastructure & Services Ltd. New Delhi/ IIC Technologies, Ltd. Hyderabad/ GIS Consortium Ltd. New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017.......132.......... **पटना, दिनांक :–**24-01-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप